

प्राधिकृत उचित मूल्य दुकान के लिए प्राधिकार हेतु आवेदन

रिक्त दुकान के केन्द्र का विवरण जिसकी नियुक्ति हेतु आवेदन किया है

ग्राम पंचायत विज्ञप्ति में अंकित वितरण केन्द्र तहसील

1. आवेदक का नाम- पिता/पति का नाम

जन्म तिथि-/...../..... उम्र वर्ग

2. आवेदक का पता (निवास)

ग्राम का नाम वार्ड संख्या ग्राम पंचायत

मोबाईल नम्बर..... फोन ई मेल पता

3. निवास के संबंध में संलग्न दस्तावेज

4. अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के होने पर संलग्न दस्तावेज -

5. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं संलग्न दस्तावेज

कम्प्यूटर में डिप्लोमा हैं या नहीं संलग्न दस्तावेज -

6. आवेदित उचित मूल्य दुकान हेतु प्रस्तावित दुकान का विवरण -

प्रस्तावित दुकान के स्वामीत्व का प्रकार स्वयं की हैं या किराये की

ग्राम मकान मालिक का नाम ग्राम पंचायत

दुकान के सामने सड़क की चौड़ाई

7. एक लाख का हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न हैं या नहीं-

8. आवेदक सहकारी समिति / लैम्पस / महिला अधिकारिता विभाग से मान्यता प्राप्त महिला स्वयं सहायता समूह /

सहकारी दुग्ध उत्पादन समिति / ग्राम पंचायत हैं तो उसका विवरण

गठन का रजिस्ट्रेशन नम्बर माह एवं वर्ष

9. संस्था या निगमित निकाय है, तो अध्यक्ष / प्रबन्धक / सचिव का नाम -

अध्यक्ष का नाम सचिव का नाम प्रबन्धक का नाम

दूरभाष / मोबाईल नं. दूरभाष / मोबाईल नं. दूरभाष / मोबाईल नं.

10. क्या संस्था या निगमित निकाय के द्वारा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु प्रस्ताव पत्र जारी है

11. उक्त संस्था या निगमित निकाय द्वारा लगाई गई पूंजी का विवरण

अंश पूंजी कार्यशील पूंजी

12. क्या उक्त संस्था या निगमित निकाय के द्वारा पहले से ही खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का आदेश 1976 के

अन्तर्गत वितरण कार्य किया जा रहा है? यदि हां तो किस स्थान पर ?

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा
(जो लागू नहीं हो वह काट दें)

1. यह है कि मैंने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु प्रारूप "क" में आवेदन किया है जिसमें समस्त भरे गये बिन्दु सत्य हैं। मैंने / हमने उक्त आदेश, 1976 के उपबन्धों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मैं / हम उक्त आदेश के उपबन्धों को तथा समय-समय पर तदधीन जारी दिशा निर्देशों की पालना करूंगा / करेंगे।
2. यह है कि मैं / संस्था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन किसी अपराध के लिए पूर्व में दण्डित नहीं किया गया हूँ।
3. यह है कि मैं / संस्था का पूर्व में उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र गम्भीर अनियमितताओं के कारण निरस्त नहीं हुआ है।
4. यह है कि परिवार के किसी सदस्य यथा माता, पिता, अविवाहित पुत्री, आश्रित पुत्र, माता-पिता पर आश्रित बालिग पुत्र के नाम पूर्व से कोई दुकान नहीं है।
5. यह है कि मेरे पास राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण है / नहीं है, किन्तु मैं यह प्रशिक्षण चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्राप्त कर लूंगा / लूंगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।
6. यह है कि मेरा दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं हैं। मुझे यह भी ज्ञात है कि उचित मूल्य दुकान आंवटन होने के बाद यदि दिनांक 01.01.2015 के पश्चात् मेरी दो से अधिक संतान होगी तो ऐसा होने की स्थिति में प्राधिकार पत्र निरस्त हो जायेगा।
7. यह है कि मैं स्वयं अथवा मेरी पत्नी / मेरे पति वर्तमान में निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं हैं।
8. यह है कि मैं बालिग एवं स्वस्थ चित हूँ तथा दिवालिया घोषित नहीं हुआ हूँ या संस्था दिवालिया घोषित नहीं हैं।
9. यह है कि मुझे / संस्था को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
10. यह है कि मेरे द्वारा प्राधिकार पत्र हेतु संलग्न आवेदन पत्र में अंकित समस्त तथ्य एवं प्रस्तुत सूचनायें / दस्तावेज सही हैं और कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।
11. यह है कि उचित मूल्य दुकान का आंवटन होने पर मैं / संस्था दुकान का संचालन स्वयं करूंगा / करूंगी।
12. यह है कि मेरे घर में कार्यशील शौचालय हैं।
13. यह मेरी जानकारी में है कि गलत सूचनायें देना एवं ऐसा साबित होना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

मैं / हम घोषणा करते हैं कि मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार उपर्युक्त विशिष्टियाँ सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मेरे / हमारे द्वारा दी गयी सूचनायें गलत पाये जाने पर आवेदन / उचित मूल्य दुकान का आंवटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठों की कुल संख्या

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर